सं. 402/92/2006-एमसी (2008 का 16)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
****

नई दिल्ली दिनांक 31 मार्च 2008

प्रेस विज्ञप्ति

आयकर विभाग ने सभी कर कटौतीकर्ताओं को सलाह दी थी कि वे उन सभी मामलों में अपनी टीडीएस विवरणी में पैन का उल्लेख करें जहां उन्होंने कर की कटौती की है और इसे सरकारी खाते में जमा किया है। इस पर जोर दिया गया है क्योंकि पैन को उद्धृत न करने के परिणामस्वरूप कटौतीकर्ताओं को उनके मामलों को संसाधित करते समय क्रेडिट देने में असमर्थता होती है।

पैन के सटीक उद्धरण की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यांकन वर्ष 2007-08 से विभाग ने बिना संलग्नक के विवरणी प्रपत्र निर्धारित किए हैं। इसलिए कर क्रेडिट केवल टीडीएस विवरणी के माध्यम से कटौतीकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही दिया जा सकता है।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने पैन को उद्धृत करने के लिए एक सीमा निर्धारित की है। यह वित्तीय वर्ष 2007-08 की अंतिम तिमाही और उसके बाद के वेतन मामलों के लिए 95% और गैर-वेतन मामलों के लिए 85% है। इन सीमाओं के अनुपालन के बिना, कटौतीकर्ताओं के विवरणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे कटौतीकर्ताओं को गैर-दाखिलकर्ता माना जाएगा और उन्हें दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा।